

UP Board Important Questions Class 9 लोकतांत्रिक राजनीति

Chapter 3 चुनावी राजनीति Loktantrik Rajniti

अतिलघूतरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

लोकसभा चुनाव के लिए हमारे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है?

उत्तर:

543 निर्वाचन क्षेत्रों में।

प्रश्न 2.

संसद सदस्य किसे कहते हैं?

उत्तर:

प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से चुने गये प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं।

प्रश्न 3.

किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है?

उत्तर:

उत्तरप्रदेश (80)

प्रश्न 4.

भारत में कौन चुनाव लड़ सकता है?

उत्तर:

कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष या अधिक है, चुनाव लड़ सकता है।

प्रश्न 5.

चुनाव क्या है?

उत्तर:

ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल के बाद अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, चुनाव कहलाती है।

प्रश्न 6.

चुनाव में मतदाता कितनी तरह से चुनाव करते हैं?

उत्तर:

- चुनाव में मतदाता अपने लिए कानून बनाने वाले का; सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं।
- वे सरकार बनाने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं।

प्रश्न 7.

एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों आवश्यक समझे जाते हैं?

उत्तर:

एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए चुनाव आवश्यक होते हैं क्योंकि-

- चुनाव के द्वारा लोग नियमित अन्तराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें।
- अगर लोगों की इच्छा हो तो वे वर्तमान प्रतिनिधि को बदल भी सकें।

प्रश्न 8.

चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर:

चुनाव का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी पसंद का प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है।

प्रश्न 9.

मतदाता सूची क्या है?

उत्तर:

लोकतांत्रिक चुनाव में प्रत्येक मतदान क्षेत्र में चुनाव की योग्यता रखने वालों की चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से पहले एक सूची तैयार की जाती है, उसे मतदाता सूची कहते हैं।

प्रश्न 10.

लोकतांत्रिक चुनावों के लिए दो जरूरी न्यूनतम शर्तों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर:

- प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार प्राप्त हो और प्रत्येक मत का मूल्य समान हो।
- चुनाव नियमित अंतराल के बाद तथा निरन्तर हों।

प्रश्न 11.

चुनाव में राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता के दो रूपों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- चुनाव में राजनैतिक पार्टियों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता होती है।
- निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता पायी जाती है।

प्रश्न 12.

चुनावी प्रतिद्वन्द्विता की दो हानियाँ लिखिये।

उत्तर:

- चुनावी प्रतिद्वन्द्विता से हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति आ जाती है।
- समाज और देश-सेवा करने की चाह रखने वाले कई लोग इस कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उत्तरते।

प्रश्न 13.

चुनावी प्रतिद्वन्द्विता का क्या लाभ है?

उत्तर:

चुनावी प्रतिद्वन्द्विता के कारण ही राजनैतिक दल और इसके नेता, लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं।

प्रश्न 14.

निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं?

उत्तर:

चुनाव के उद्देश्य से भारत को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। इन्हें निवाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।

प्रश्न 15.

आम चुनाव क्या है?

उत्तर:

जब लोकसभा अथवा विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ एक ही दिन या कुछ दिनों के अन्दर चुनाव कराए जाते हैं तो इसे 'आम चुनाव' कहा जाता है।

प्रश्न 16.

उप-चुनाव क्या है?

उत्तर:

कभी-कभी किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र की स्थिति में केवल एक सीट के लिए चुनाव किया जाता है। इस चुनाव को 'उप-चुनाव' कहते हैं।

प्रश्न 17.

आरक्षित चुनाव क्षेत्र से क्या आशय है?

उत्तर:

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के लिए जा चुनाव क्षेत्र निर्धारित हैं, उन चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित चनाव क्षेत्र कहा जाता है।

प्रश्न 18.

लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी-कितनी सीटें आरक्षित हैं?

उत्तर:

लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।

प्रश्न 19.

पांच सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों के नाम बताइये।

उत्तर:

- उत्तर प्रदेश (80);
- महाराष्ट्र (48)
- पश्चिम बंगाल (42)
- बिहार (40) तथा
- तमिलनाडु (39)।

प्रश्न 20.

आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है?

उत्तर:

भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है क्योंकि-

- मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा एक बार नियुक्त हो जाने के पश्चात् वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है।
- सरकार के लिए भी उसे कार्यकाल से पर्व हटाना कठिन है।

प्रश्न 21.

भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं। इसके प्रमाण में दो कारण दीजिये।

उत्तर:

- यहाँ राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सत्ताधारी दल प्रायः चुनाव हारते रहे हैं।
- प्रायः हारी हुई पार्टी द्वारा जनादेश तथा चुनाव परिणामों को स्वीकार किया जाता है।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

प्रश्न 1.

भारत में उन स्तरों का उल्लेख कीजिए जहाँ जनता विधायिकाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।

उत्तर:

भारत में जनता निम्नलिखित तीन स्तरों पर अपने प्रतिनिधि चुनती है-

- वह राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों का चुनाव करती है।
- वह राज्य स्तर पर विधायकों का चुनाव करती है।
- वह स्थानीय स्तर पर पंचायतों तथा शहरी निकायों के लिए प्रतिनिधियों का चनाव करती है।

प्रश्न 2.

उन विकल्पों का उल्लेख कीजिये जिनका चुनाव जनता चुनाव के दौरान करती है।

उत्तर:

जनता चुनाव के दौरान निम्न विकल्पों का चुनाव करती है-

- वह इसका चुनाव कर सकती है कि उनके लिए कानून कौन बनायेगा।
- वह सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकती है।
- वह उस पार्टी का चुनाव कर सकती है जिसकी नीतियाँ सरकार तथा कानून बनाने की प्रक्रिया को निर्देशित करेंगी।

प्रश्न 3.

पार्टी चुनाव चिन्ह क्या होता है? इसे क्यों आवंटित किया जाता है?

उत्तर:

प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, इसे पार्टी का चुनाव चिन्ह कहा जाता है। एक चुनाव क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के एक जैसे चुनाव चिन्ह नहीं हो सकते।

भारत में बहुत आधिक जनसंख्या अशिक्षित है किन्तु वे चुनाव चिन्हों की सहायता से पार्टी एवं उम्मीदवारों की सरलता से पहचान कर सकते हैं एवं अपने मत का उचित उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है।

प्रश्न 4.

भारत के चुनाव आयोग के अधिकारों का संक्षेप में वर्णन करो।

उत्तर:

भारत में चुनाव आयोग के प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं-

- चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के परिणामों तक प्रत्येक पहलू पर प्रभावी नियंत्रण रखता है।
- यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है एवं इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार व दलों को सजा भी देता है।
- यह चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण को रोकता है।
- चुनाव कार्य हेतु लगाये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों पर चुनाव आयोग का नियंत्रण होता है।

प्रश्न 5.

राजनैतिक या चुनावी प्रतियोगिता के दोषों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

राजनैतिक प्रतियोगिता के दोष ये हैं-

- चुनावी प्रतियोगिता प्रत्येक स्थान पर लोगों के बीच एकता की भावना को नुकसान पहुँचाती है और उनके बीच विभाजन पैदा करती है।
- विभिन्न राजनेता तथा राजनैतिक दल परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं तथा दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए प्रायः गलत तरीके प्रयुक्त किये जाते हैं।
- कुछ अच्छे लोग जो देश की सेवा करना चाहते हैं, वे इस अस्वस्थ प्रतियोगिता में स्वयं को घसीटना नहीं चाहते।

प्रश्न 6.

अपने नामांकन फार्म में प्रत्येक उम्मीदवार को कौन-सी सूचनाएँ अनिवार्य रूप से देनी होती हैं?

उत्तर:

उम्मीदवार को नामांकन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएँ देनी होती हैं-

- उसके विरुद्ध लंबित गंभीर आपराधिक मामले।
- उसकी संपत्तियाँ, दायित्व तथा पारिवारिक सम्पत्तियों का ब्यौरा।
- उसकी शैक्षणिक योग्यता।

प्रश्न 7.

चुनाव अभियानों के लिए कितना समय दिया जाता है? चुनाव अभियान के साधनों का उल्लेख कीजिये।

उत्तर:

हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच प्रायः दो सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है।

इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से सम्पर्क करता है, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनैतिक पार्टियाँ अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं। इसी अवधि में अखबार तथा टी.वी. चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती हैं।

प्रश्न 8.

चुनावों में धांधली के कुछ आरोपों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

- मतदाता सूची में गलत नामों को शामिल करना तथा सही नामों को हटा देना।
- सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधनों तथा अधिकारियों का दुरुपयोग करना।
- धनी उम्मीदवारों तथा बड़े राजनैतिक दलों द्वारा अत्यधिक धन का प्रयोग। (4) मतदाता को लालच देना या वोट लूटना आदि।

प्रश्न 9.

चुनाव कानूनों के अनुसार भारत में कोई उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के दौरान किन-किन कार्यों को नहीं कर सकता है?

उत्तर:

चुनाव कानून के अनुसार भारत में कोई उम्मीदवार या पार्टी चुनाव के दौरान निम्नलिखित कार्यों को नहीं कर सकते हैं-

- मतदाता को प्रलोभन देना, धूस देना या धमकी देना।
- उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना।
- चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना।
- लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित सीमा 25 लाख तथा विधान सभा चुनाव में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च करना।

प्रश्न 10.

चुनावी अभियानों के लिए आदर्श आचारसंहिता की व्याख्या कीजिए।

उत्तर:

आदर्श आचारसंहिता के अनुसार किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा-

- चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म-स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहनों, वायुयानों, अधिकारियों व कर्मचारियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के पश्चात् कोई भी मंत्री किसी नई परियोजना की आधारशिला नहीं रख सकता, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता और जनता से कोई जनसुविधा उपलब्ध करवाने का वादा नहीं कर सकता है।

प्रश्न 11.

भारत के चुनाव परिणामों से यह कैसे सिद्ध होता है कि चुनावों का आयोजन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से हुआ था?

उत्तर:

भारत के चुनाव परिणामों के निम्न निष्कर्ष भी यह प्रमाणित करते हैं कि चुनावों का आयोजन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से हुआ था-

- भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रान्तीय स्तर पर प्रायः चुनाव हारते रहे हैं।
- भारत में निवर्तमान सांसदों और विधायकों में से आधे चुनाव हार जाते हैं।
- वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी चुनाव हारते रहे
- कुछेक अपवादों को छोड़कर प्रायः हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती

प्रश्न 12.

किन्हीं तीन कारकों का उल्लेख कीजिये जो भारतीय चुनावों को लोकतांत्रिक बताते हैं।

उत्तर:

भारत में चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने वाले कारक निम्नलिखित हैं-

- स्वतंत्र चुनाव आयोग-भारत में चुनाव चुनाव आयोग द्वारा कराये जाते हैं। चुनाव आयोग बहुत अधिक शक्तिशाली तथा स्वतंत्र है।
- लोकप्रिय जनसहभागिता-भारत में पिछले पांच दशकों में जनसहभागिता या तो स्थिर रही है या बढ़ी है। चुनावों में बढ़ती जनता की रुचि चुनावों की लोकतांत्रिकता को सिद्ध करती है।
- चुनाव परिणामों की स्वीकृति-भारत में सत्ताधारी दल, शक्तिशाली उम्मीदवार चुनाव हारते रहे हैं तथा वे उसे स्वीकार करते भी रहे हैं।